आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख करने का सुझाव

बजट पूर्व मांग

- मुद्रास्फीति का दबाव देखते हुए उद्योग मंडल एसोचैम ने उठाई मांग
- मानक कटौती को फिर से कानूनी रूप से किया जाए बहाल
- वेतनभोगियों को चिकित्सा व अवकाश यात्रा व्यय जैसे खर्चों पर दी जाए राहत
- चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पांच जुलाई को पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली (भाषा)। उद्योग मंडल एसोचैम ने मुद्रास्फीति दबाव का हवाला देते हुए व्यक्तिगत आयकर सीमा 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व दिए ज्ञापन में एसोचैम ने यह सुझाव दिया हैं।

मंत्रालय को सौंपे ज्ञापन में उद्योग मंडल ने कहा, 'वर्षों से मुद्रास्फीति के प्रभाव को देखते हुए व्यक्तिगत आय कर छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जाना चाहिए।' सरकार चालू वित्त वर्ष का अपना पूर्ण बजट पांच जुलाई को पेश करेगी।

उद्योग मंडल ने यह भी सुझाव दिया कि वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी करदाताओं के बीच जरूरी समानता लाने के लिए मानक कटौती को फिर से कानूनी रूप से बहाल किए जाने पर गौर किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अधिकतम मान लिया जाए एक लाख रुपए तक के सकल वेतन का करीब 20 फीसद मानक कटौती के लिए विचार किया जा सकता है।

उद्योग मंडल ने कहा कि वेतनभोगी और कारोबार या अपना काम करने वालों के बीच अंतर है। इसके कारण वेतनभोगियों को अधिक कर देना होता है। एसोचैम ने आम करदाताओं के पास अधिक खर्च योग्य आय छोड़ने के लिए चिकित्सा व्यय, अवकाश यात्रा व्यय जैसे खर्चों पर कर राहत का सुझाव दिया है।

एलटीसी के लिये कर छूट फिलहाल केवल यात्रा के लिए है और इसमें रहने या खाने पर होना वाला खर्च शामिल नहीं है। यात्रा के दौरान बड़ी राशि खाने-पीने और रहने पर खर्च होती है, अतः छूट में इसे शामिल करने की जरूरत है।

वित्त मंत्री करेंगी मुलाकात

नई दिल्ली (भाषा)। बजट से पहले होने वाली परामर्श प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सिलसिले में 11 से 23 जून के बीच अर्थशास्त्रियों, बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों तथा उद्योग मंडलों से मुलाकात करने वाली हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी 20 जून को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्हें अपने पहले बजट में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ते एनपीए की समस्या से निपटने की बड़ी चुनौती होगी।

उद्योग जगत ने महंगाई का हवाला देते हुए 5 लाख तक छूट देने की सलाह दी

आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी की जाए

सुझाव

नई दिल्ली | एजेंसी

भारतीय उद्योग जगत ने सरकार से व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का सुझाव दिया है।

उद्योग मंडल एसोचैम ने महंगाई का हवाला देते हुए व्यक्तिगत आयकर सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व दिए ज्ञापन में एसोचैम ने यह सुझाव दिया है। इससे पहले सीआईआइ ने भी आयकर छूट की सीमा दोगुना करने की मांग कर चुका है। मंत्रालय को सौंपे ज्ञापन में उद्योग मंडल ने कहा, महंगाई के प्रभाव को देखते हुए व्यक्तिगत आय कर छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करने की सख्त जरूरत है।

वित्त मंत्री उद्योग मंडलों से मिलेंगी

बजट से पहले होने वाली परामर्श प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सिलसिले में 11 जून से 23 जून के बीच अर्थशास्त्रियों, बैंक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों तथा उद्योग मंडलों से मुलाकात करने वाली हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी 20 जून को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। सीतारमण पहला बजट पेश करने वाली हैं। उन्हें अपने पहले बजट में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था, एनपीए, रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात में सुधार, कृषि संकट तथा सरकारी निवेश में वृद्धि जैसी चुनौतियों से पार पाने पर काम करना होगा।

मानक छूट एक लाख करने का सुझाव : उद्योग मंडल ने यह भी सुझाव दिया कि वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी करदाताओं के बीच जरूरी समानता लाने के लिए मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को फिर से कानूनी रूप से बहाल किए जाना चाहिए। वहीं, एक लाख रुपये तक के सकल वेतन का करीब 20 प्रतिशत मानक कटौती के लिए विचार करने की मांग की गई है। उद्योग मंडल ने कहा कि वेतन भोगी और कारोबार/अपना काम करने वालों के बीच अंतर है। इसके कारण वेतनभोगियों को अधिक कर देना होता है।

05 जुलाई को वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पेश करेंगी

2.5 लाख रुपये है अभी आयकर छूट की सीमा नौकरीपेशा वर्ग के लिए

10 लाख रुपये की सालाना आय पर कर की दर 20% से घटाकर 10% करने की मांग

छूट से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेजी होगी

कर विशेषज्ञों ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपये तथा कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट देने की वाकलात की है। इसके अलावा पांच प्रतिशत कर श्रेणी की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये से साढ़े सात लाख रुपये कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपभोग तथा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर एंड लीडर कुलदीप कुमार ने कहा, भारत वैश्विक आर्थिक परिस्थिति से अप्रभावित नहीं रह सकता है और घरेलू स्तर पर भी चुनौतियां हैं। इसलिए कंपनियों को न्यूनतम कर से छूट दी जानी चाहिए।

उद्योग ने की व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा पांच लाख करने की मांग

एसोचैम ने बताई बजट की प्राथमिकता

■ पांच जुलाई को पेश किए जाने वाले आम बजट के मद्देनजर सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग जगत ने सरकार से व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की अपील की है। उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बाद अब एसोचैम ने भी सरकार ने वर्ष 2019-20 के पूर्ण बजट में यह प्रावधान करने की अपील की है।

सीआईआई ने भी बजट पूर्व अपने ज्ञापन में सरकार को व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का सुझाव दिया है। नई मोदी सरकार 05 जुलाई को वर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बीच एसोचैम ने वित्त मंत्रालय को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा है कि महंगाई के दबाव के मद्देनजर सरकार को व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए करनी चाहिए। संगठन ने वेतनभोगी और अन्य करदाताओं के बीच एकरूपता लाने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे सभी करदाताओं को मानक छूट का लाभ मिल सकेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों और कारोबार या पेशवर गतिविधियों में लगे लोगों के बीच कर को लेकर असमानता है, जिसके कारण वेतनभागियों को अधिक कर चुकाना पड़ता है। एसोचैम ने मानक छूट को भी बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की अपील करते हुए कहा कि सकल वेतन का करीब 20 प्रतिशत मानक छूट होनी चाहिए। चालीस हजार रुपए की मानक छूट से वेतनभोगियों को कोई विशेष राहत नहीं मिल रही है। इसलिए इसमें बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है। उसने कहा कि वित्त अधिनियम 2018 में एक प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगाए जाने से अधिकांश वेतनभोगियों के लिए इस मानक छूट का कोई मायने नहीं रह गया है। करदाताओं को व्यय के लिए अधिक आय छोड़ने का सुझाव देते हुए एसोचैम ने कहा कि उन्हें चिकित्सा व्यय, अवकाश यात्रा व्यय जैसे मद में अधिक राहत दी जानी चाहिए। उसने कहा कि अभी अवकाश यात्रा व्यय या भत्ता अभी सिर्फ यात्रा तक सीमित है और इसमें रहने या खाने-पीने के व्यय को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यात्रा करने पर रहने और खाने-पीने पर अधिक व्यय होता है। इसके मद्देजनर इसमें इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए। एसोचैम ने लोगों में बचत को बढ़ावा देने के लिए आयकर कानून की धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने की सिफारिश की है। उसने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाली छूट को भी अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के वास्ते एक हजार रुपए मासिक या जो वास्तविक व्यय हो या इसमें से जो कम हो को छूट दी जानी चाहिए।

इलेक्ट्रिक परिवहन को थोपने से बचे सरकार : उद्योग

नई दिल्ली। उद्योग जगत ने सरकार से इलेक्ट्रिक परिवहन को वाहन उद्योग तथा बाजार पर थोपने के बजाय उसकी प्रौद्योगिकी तथा ग्राहकों और बाजार के बीच स्वत: स्वीकार्यता विकसित होने देने की वकालत करते हुए कहा है कि तब तक बहु-वैकल्पिक व्यवस्था रखी जा सकती है। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम ने रविवार को कहा कि वह इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने की नीति आयोग की मुहिम का समर्थन करती है, लेकिन सरकार को अपने रुख को व्यावहारिक रखना चाहिए और इस उद्योग को 'अनावश्यक नुकसान पहुंचाने से' बचना चाहिए। सियाम के अध्यक्ष राजन बढ़ेरा ने आज एक बयान जारी कर कहा कि देश में इलेक्ट्रिक परिवहन को यथाशीघ्र लाने की नीति आयोग की महत्त्वाकांक्षी आकांक्षा का वाहन उद्योग पूरा समर्थन करता है। लेकिन यह अनावश्यक रूप से वाहन उद्योग को नुकसान पहुंचाए बिना भी संभव है और इसलिए इस महत्त्वाकांक्षा को व्यावहारिक स्तर पर लाने की जरूरत है। श्री बढ़ेरा ने कहा कि आज वाहन उद्योग के समक्ष कई चुनौतियां हैं। उसे बीएस-4 के बाद सीधे बीएस-6 को अपनाना है तथा कई नए सुरक्षा मानकों का पालन करना है और यह सब इतने कम समय करना है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इन सब के लिए उद्योग 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस निवेश की वसूली से पहले ही सरकार पारंपरिक अंत:दहन इंजनों को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। वह 2023 तक अंत:दहन वाले तिपहिया वाहनों और 2025 तक ऐसे दुपहिया वाहनों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की तैयारी कर रही है। यह अव्यावहारिक तथा असामयिक है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि बाजार कारकों तथा सकारात्मक नीति किसी भी नवाचार के मूल में है तथा हमें उम्मीद है कि परिवहन की नई प्रौद्योगिकियों की तैयारी करते हुए भारत को भी यही रुख अख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। पहले पारंपरिक इंजन के साथ ही इलेक्ट्रिक इंजन वाले वाहनों की बिक्री जारी रखनी चाहिए और बाद में जब यह ग्राहकों की क्रय सीमा भीतर आ जाए तथा प्रौद्योगिकी पूरी तरह विकसित हो जाए तब पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए। सियाम अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को सिर्फ इस उम्मीद के आधार पर कि इलेक्ट्रिक वाहन की प्रौद्योगिकी अगले पांच-छह साल में ही बाजार की मांग को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो जाएगी, एक स्थापित प्रौद्योगिकी को जल्दबाजी में प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। इससे दुनिया के सबसे बड़े दुपहिया तथा तिपहिया उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इससे ग्राहकों तथा बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बनाने में भी मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि दुपहिया तथा तिपहिया वाहनें के कलपुर्जों की आपूर्ति करने वाली इकाइयों की बड़ी संख्या छोटे तथा मध्यम उद्योग की श्रेणी में है, जो वाहन उद्योग की रीढ़ हैं। वाहन उद्योग, सरकार या आपूर्तिकर्ताओं में से किसी के पास इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में इतना अनुभव नहीं है कि वे 2023/2025 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों के बाजार की परिकल्पना को मूर्तरूप दे सकें। यदि कोई नीति जबरन थोपने की कोशिश की गई, तो इससे वाहन उद्योग को नुकसान पहुंचेगा तथा सीधे-सीधे रोजगार प्रभावित होगा।